

आदेश

क्रमांक : प.3(55) नविवि / 3/2

दिनांक : 1.2.2003

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.11.02 के अधिक्रमण में यह निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(196) नविआ/83 दिनांक 17.8.95 के द्वारा राजस्थान नगरीय विकास द्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 18 के तहत पब्लिक एवं चेरिटेबिल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों की निरन्तरता में रियायती दर/निःशुल्क भूमि आवंटन नीति में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय के द्वारा 1000 वर्गगज तक भूमि का निम्न उद्देशों के लिए संभागीय आयुक्त एवं अधिकारी, संबंधित न्यास/स्थानीय निकाय की समिति की सिफारिश के आधार पर निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा जिसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण/जयपुर नगर निगम द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावेंगे।

1. चिकित्सा संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना।
2. वृद्धाश्रम की स्थापना।
3. पेन्शनरों के लिए विश्राम घर का निर्माण।
4. रेन-बस्सेरे का निर्माण।
5. निःशक्तजन, मूक एवं बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
6. सार्वजनिक प्याज़, शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण व रख रखाव।
7. प्रेस-क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण।

* * *

(36A')